न्यायालय जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी – तारा चन्द मीणा (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
019/2019 (रे.अ.) (GCMS 2019/00223)	15.10.2019	06.10.2021

अनवान

राजकुमार बैरवा पिता मोहनलाल जाति बैरवा आयु 51 साल निवासी निम्बाहेडा रोड स्टेशन चित्तौड़गढ़

अपीलान्ट

बनाम

1 मांगीलाल पिता चुन्नीलाल भाण्ड आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
2 जमना बाई पुत्री चुन्नीलाल भाण्ड आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
3 नन्दूबाई पुत्री चुन्नीलाल आयु वयस्क निवासी सिंहपुर तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।
4 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़।

रेस्पोर्डेन्ट्स

उपस्थिति :– श्री राजेन्द्र सिंह चौहान — अधिवक्ता अपीलांट
श्री भैरूलाल सालवी (राजकीय अधिवक्ता) — अधिवक्ता रेस्पोर्डेट संख्या 4
एक तरफा — रेस्पोर्डेट संख्या 1,2,3

अपील विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 2902 दिनांक 22.03.2016 ग्राम सेंती पटवार हल्का सेंती चित्तौड़गढ़

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलांट ने अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरूद्ध रेस्पोर्डेट के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ में चुन्नी लाल पिता मोडा जी भाण्ड के नाम पर आराजी नंबर 366 रकबा 0.26 हैक्टर में 1/3 हक तथा आराजी नंबर 367 रकबा 0.04 हैक्टर आता चाह में 3/7 हक खातेदारी में दर्ज था। खातेदार चुन्नी लाल ने अपना निहित 1/3 हक अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.12.2006 को विकय पत्र अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया। विक्रय पत्र के पश्चात आराजी नम्बर 366 एवं 367 में चुन्नी लाल भाण्ड के बजाय अपीलार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ तथा अपीलार्थी खाते अनुसार स्वामित्व एवं कब्जे में है। आराजी नम्बर 366 आज भी अपीलार्थी के खाते में विक्रय के आधार पर चला आ रहा है। आराजी नम्बर 367 रकबा 0.04 हैक्टर आता चाह में न्यायालय आदेश से पुनः चुन्नी लाल पिता मोडा का नाम दर्ज

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

कर दिया तथा 3/7 हक आराजी नम्बर 367 में चुन्नी लाल का नाम दर्ज होने से चुन्नी लाल की मृत्यु पर विरासत से इन्तकाल नम्बर 2902 दिनांक 22.03.2016 को खोला गया जिसमें विरासत से रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज कर दिया है। आराजी नम्बर 367 में चुन्नी लाल पिता मोडा जी भाण्ड द्वारा वर्ष 2006 में अपना निहित 3/7 हक जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी को विक्रय कर देने से चुन्नी लाल की मृत्यु के आधार पर विरारात से रेरपोडेन्ट का नाम गलत दर्ज किया। खातेदारी चुन्नी लाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को अपना हक विक्रय कर देने से विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट मांगी लाल, जमना बाई, नन्दु बाई का नाम दर्ज किया वह गलत है उक्त इन्तकाल खोलने से पूर्व आराजी मुझ अपीलार्थी के नाम दर्ज थी मेरा नाम हटाने विरासत से इन्तकाल खोलने का कोई सूचना पत्र अपीलार्थी को नहीं दिया। इस कारण इन्तकाल संख्या 2902 दिनांक 22.03.2016 की कोई जानकारी अपीलार्थी को नहीं थी। न्यायालय आदेश के आधार पर चुन्नी लाल का नाम आराजी नम्बर 367 मे 3/7 हक दर्ज होना माना उक्त हक निर्णय से पूर्व ही अपीलार्थी को विक्रय कर देने एवं अपीलार्थी के नाम दर्ज होने से विरासत खोला गया इन्तकाल दिनांक 22.03.2016 अपीलार्थी के विक्रय के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। उक्त इन्तकाल निरस्त फरमा विक्रय के आधार पर अपीलार्थी का नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपील निर्धारित न्यायालय शुल्क पर जानकारी तथा नकल प्राप्त होने के दिनांक 25.09.2019 से अन्दर अवधि पेश है नामान्तरण कार्यवाही में पक्षकार नहीं होने से जानकारी नहीं थी। अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का आवेदन मय शपथ-पत्र पेश है। अपील देरी का कारण न्यायोचित है। अन्त में प्रार्थना की गई कि अपील अपीलार्थी पेश है स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, चित्तौड़गढ़ द्वारा पारित इन्तकाल आदेश दिनांक 22.03.2016 ईन्तकाल नम्बर 2902 निरस्त फरमाया विक्रय के आधार पर अपीलार्थी का नाम खाते में दर्ज कराया जावें।

इस पर अपील अपीलांट् दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस के तलब किया गया। दिनांक 19.01.2021 को रेस्पोडेंट संख्या 1 से लगायत 3 तक के बाजवूद सूचना के हाजिर नहीं आने से इनके विरूद्ध कार्यवाही एक तरफा किये जाने का आदेश दिया गया। रेस्पोडेंस संख्या 4 की ओर से राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुये। दिनांक 15.09.2021 को तहसीलदार चित्तौड़गढ़ स्वयं उपस्थित रहे एवं प्रकरण में दस्तावेज प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

दिनांक 22.09.2021 को अधिवक्ता अपीलांट हाजिर आये। राजकीय अधिवक्ता हाजिर। राजकीय अधिवक्ता द्वारास प्रकरण में सीधे बहस पत्रावली का निवेदन किया गया। इस पर उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली को सुना गया। सर्वप्रथम विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विरासत से इन्तकाल दिनांक 22.03.2016 को खोला गया उसकी कोई सूचना अपीलार्थी को नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

दी गई। इस कारण अपीलार्थी को नामान्तरकरण संख्या 2902 की कोई जानकारी नहीं थी। उक्त भूमि विक्रय से अपीलार्थी के नाम खातेदारी चली आ रही थी। बिना किसी सूचना के नाम हटा दिया। अपीलार्थी को जानकारी होने पर दिनांक 25.09.2019 को नकल प्राप्त हुई एवं बिना किसी देरी के यह अपील जानकारी से अन्दर अवधि पेश हैं। विवादित नामान्तरकरण की जानकारी नहीं होने एवं तत्पश्चात् की देरी प्रमाणित प्रति प्राप्त करने व विधिक सलाहकार से राय प्राप्त करने से हुई जिससे अपील प्रस्तुत में हुई समस्त देरी को कन्डोन किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। इसके प्रत्युत्तर में विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में बताया कि निर्णय दिनांक 22.03.2016 की अपीलांट को प्रारंभ से जानकारी निश्चित तौर पर थी, लेकिन अपीलांट द्वारा जान बूझकर अपील प्रस्तुत करने में देरी की गई जिससे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 खारीज किये जाने योग्य हैं अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को खारीज किया जाकर अपील अपीलांट को मियाद के बिन्दु पर ही खारीज किया जावें। इस पर बहस प्रार्थना पत्र के रिबटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया की माननीय शीर्ष न्यायालयों ने भी दफा 05 कानून मियाद प्रार्थना पत्र पर उदारता का रुख अपनाते हुये अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता रहा हैं, एवं निर्णय दिनांक 22.03.2016 की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 25.09.2019 को हुई हैं एवं इस संबंध में अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 के साथ स्वयं का सच्चा शपथ पत्र पेश किया गया हैं, अतः प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन फरमाया जाकर अपील अन्दर अवधि शुमार की जावें। हमने पत्रावली का आद्यौपान्त अवलोकन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस प्रार्थना पत्र का मनन किया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 का अवलोकन किया। प्रार्थना पत्र की पुष्टि में प्रस्तुत अपीलांट के शपथ पत्र का अवलोकन किया। नैसर्गिक न्याय के अवधारणा के अनुसरण में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम, 1963 को स्वीकार किया जाता हैं एवं अपील प्रस्तुत किये जाने में हुई समस्त देरी को कन्डोन किया जाता हैं एवं अपील अपीलांट अंदर अवधि शुमार की जाती हैं।

इसके पश्चात् हाजिर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा बहस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 पर की गई। अपनी बहस प्रार्थना पत्र में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरया एवं बताया कि प्रार्थी ने अपील के साथ दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने से पेश नहीं किय हैं अपील पेश करने के बाद राजस्व विभाग से प्रमाणित नकले प्राप्त कर पेश की गई हैं जिनको राजस्व रेकार्ड को पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक हैं। इस पर राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस प्रार्थना पत्र में बताया कि प्रार्थी द्वारा जानबूझ कर उक्त दस्तावेज पूर्व में प्रस्तुत नहीं किये गये जबकि उक्त दस्तावेज अपील पेश किये जाने से पूर्व के होकर उपलब्ध थे जिनको

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(तारा चन्द ...)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

अपीलांट द्वारा जानबूझ कर प्रस्तुत नहीं किये गये ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को अब इस परिस्थिति में रिकार्ड पर नहीं लिया जा सकता है अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारीज फरमाया जावें। इस पर बहस प्रार्थना पत्र के रिवटल में अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि उक्त सभी दस्तावेज राजस्व रेकार्ड है जिनके फर्जी व बनावटी नहीं है तथा सभी उक्त दस्तावेज प्रमाणित रेकार्ड है जो अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में पत्रावली पर लिया जाना आवश्यक है, अतः प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 स्वीकार फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। मनन किया। प्रार्थना पत्र में वर्णित दस्तावेज राजकीय रेकार्ड होकर प्रमाणित रेकार्ड है ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजों को रिकार्ड पर लिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 को स्वीकार किया जाता है। एवं नकल जमाबंदी संवत् 2068-2071 मौजा सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 282, विक्रय पत्र बाबत् कृषि भूमि दिनांक 28.12.2006, नकल जमाबंदी संवत् 2060-2063 मौजा सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 142 एवं नकल जमाबंदी संवत् 2064-2067 मौजा सेंती पटवार हल्का सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 504 को रिकार्ड पर लिया जाता है।

इसके पश्चात् उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा की गई बहस मूल अपील मेमों को सुना गया। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि ग्राम सेंती तहसील चित्तौड़गढ़ में चुन्नी लाल पिता मोडा जी भाण्ड के नाम पर आराजी नंबर 366 रकबा 0.26 हैक्टर में 1/3 हक तथा आराजी नंबर 367 रकबा 0.04 हैक्टर आता चाह में 3/7 हक खातेदारी में दर्ज था। खातेदार चुन्नी लाल ने अपना निहित 1/3 हक अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 27.12.2006 को विकय पत्र अपीलार्थी के पक्ष में निष्पादित किया। विक्रय पत्र के पश्चात आराजी नम्बर 366 एवं 367 में चुन्नी लाल भाण्ड के बजाय अपीलार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज हुआ तथा अपीलार्थी खाते अनुसार स्वामित्व एवं कब्जे में है। आराजी नम्बर 366 आज भी अपीलार्थी के खाते में विक्रय के आधार पर चला आ रहा है। आराजी नम्बर 367 रकबा 0.04 हैक्टर आता चाह में न्यायालय आदेश से पुनः चुन्नी लाल पिता मोडा का नाम दर्ज कर दिया तथा 3/7 हक आराजी नम्बर 367 में चुन्नी लाल का नाम दर्ज होने से चुन्नी लाल की मृत्यु पर विरासत से इन्तकाल नम्बर 2902 दिनांक 22.03.2016 को खोला गया जिसमें विरासत से रेस्पोडेन्ट का नाम दर्ज कर दिया है।

इस पर विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में नामान्तरकरण संख्या 2902 का अवलोकन करायाा एवं बताया कि उक्त नामान्तरकरण संख्या के अनुसार मृतक खातेदार चुन्नीलाल पिता मोडा जाति भाण्ड के फौत हो जाने से विरासतन नामान्तरकरण दायर किया जाकर निर्णित किया गया है। एवं अपीलांट द्वारा मृतक खातेदार के

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

विरासतन नामान्तरकरण को निरस्त कराये जाने का अधिकारी नहीं है क्योंकि अपीलांट मृतक खातेदार की विरासन के संबंध में कोई उज्र नहीं है। प्रकरण में रेस्पोडेंट प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा तहसीलदार कपासन से मृतक खातेदार के विधिक वारिसान की जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई एवं वारिसान की जांच रिपोर्ट कपासन अनुसार नामान्तरकरण की अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण में समस्त तथ्यों की जांच की जाकर विधि अनुसार मृतक खातेदार के विधिक वारिसानों के नाम पर नामान्तरकरण दायर कर निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज योग्य है, इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। इस पर बहस के रिवटल में विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने बताया कि आराजी नम्बर 367 में चुन्नी लाल पिता मोडा जी भाण्ड द्वारा वर्ष 2006 में अपना निहित 3/7 हक जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र अपीलार्थी को विक्रय कर देने से चुन्नी लाल की मृत्यु के आधार पर विरासत से रेरपोडेन्ट का नाम गलत दर्ज किया। खातेदारी चुन्नी लाल द्वारा अपने जीवनकाल में अपीलार्थी को अपना हक विक्रय कर देने से विरासत के आधार पर रेस्पोडेन्ट मांगी लाल, जमना बाई, नन्दु बाई का नाम दर्ज किया वह गलत है उक्त इन्तकाल खोलने से पूर्व आराजी मुझ अपीलार्थी के नाम दर्ज थी मेरा नाम हटाने विरासत से इन्तकाल खोलने का कोई सूचना पत्र अपीलार्थी को नहीं दिया। न्यायालय आदेश के आधार पर चुन्नी लाल का नाम आराजी नम्बर 367 मे 3/7 हक दर्ज होना माना उक्त हक निर्णय से पूर्व ही अपीलार्थी को विक्रय कर देने एवं अपीलार्थी के नाम दर्ज होने से विरासत खोला गया इन्तकाल दिनांक 22.03.2016 अपीलार्थी के विक्रय के मुकाबले अवैध एवं शून्य है। उक्त इन्तकाल निरस्त फरमा विक्रय के आधार पर अपीलार्थी का नाम दर्ज कराये जाने का आदेश प्रदान करावें। इसी ईश्तदुआ के साथ विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावली को वास्ते निर्णय रिजर्व किया गया।

पत्रावली वास्ते निर्णय प्रस्तुत हुई। हमने पत्रावलियों का आद्यौपांत अवलोकन किया। पत्रावलियों पर उपलब्ध साक्ष्य दस्तावेज का अवलोकन/परिशीलन किया। उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पत्रावली का चिंतन-मनन किया। हस्तगत अपील के संबंध में निर्णय के बिन्दु पर विचार करने में न्यायालय के समक्ष निर्णय का बिन्दु यह उभर कर आता है कि - **''अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित नामान्तरकरण संख्या 2902 मौजा सेन्ती पटवार हल्का सेन्ती निर्णय दिनांक 22.03.2016 विधि अनुसार निर्णित किया गया है या नहीं, अगर नहीं तो निर्णय क्या होगा?''**

नामान्तरकरण को दर्ज करने एवं उसकी जांच व सक्षम अधिकारी द्वारा उसे निर्णित करने के संबंध में राजस्थान भू राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 121 के प्रावधान लागु होते है, जो कि इस प्रकार है-

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

(iv) The Revenue Officer (The Tehsildar, the Naib-Tehsildar or an Assistant Collector) or the village Panchayats to which the powers under Section 135 of the Rajasthan and Revenue Act, 1956 have been delegated, as the case may be should carefully compare the entries in the counterfoil, and foil and must write his order on the latter. He should see that entries in the mutation sheet at his orders thereon are neatly and legibly written. The order should show the parties interested, whether all were present or any one was absent, the way in which his evidence was obtained or it was not obtained, what opportunity was given to him to present, who identified the parties present and the place at which and the date on which it was written. In mutations of alienation of land tine caste and sub-caste of the party should be named in the order. No detailed record of the statements of parties and witnesses need be made but the order must state briefly the persons examined by the Revenue Officer, the facts which they deposed and the grounds of the order. Except where the mutation order relates to an entire holding and in case of undisputed inheritance, the Revenue Officer must enter in his own hand the number of the fields affected and their total area.

उक्त नियम 121(4) में अंकित हिदायतों की पालना करते हुऐ नामान्तरकरण निर्णित करने हेतु सक्षम अधिकारी को नामान्तरकरण से संबंध में पूर्ण जांच उपरांत नामान्तरकरण तस्दीक करना होता है, हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा विवादित नामान्तरकरण से मृतक खातेदार चुन्नीलाल पिता मौडा जाति भाण्ड निवासी सिंहपुर के फौत हो जाने से मृतक खातेदार की जॉच तहसीलदार कपासन से प्राप्त किये जाने के पश्चात् मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया जा कर निर्णित किया जाना हाजिर होता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलांट द्वारा मृतक खातेदार चुन्नीलाल पिता मौडा भाण्ड से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.12.2006 से मृतक खातेदार की आराजीयात जैर बहस में निहित हक-हिस्सा क्रय किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी से जाहिर होता है कि अपीलांट का विवादित आराजीयात जैरबहस में बतौर खातेदार अंकन रहा है, किन्तु अपीलांट द्वारा स्वयं द्वारा अपील मेमों के पैरा संख्या 4 में अवगत कराया गया है कि न्यायालय आदेश के आधार पर चुन्नीलाल का नाम आराजी संख्या 367 में 3/7 हक से दर्ज होना स्वीकार किया गया है ऐसी स्थिति में न्यायालय हाजा के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि राजस्व अभिलेख में अपीलांट का नाम सक्षम न्यायालय के आदेश से विलोपित किया गया है। अपीलांट द्वारा आदेश 41 नियम 27 जा0 दी0 में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा सेंती संवत् 2064-2067 के खाता संख्या 203 की जमाबंदी पर अंकित नोट से जाहिर आया है कि नामान्तरकरण संख्या 2075 दिनांक 11.12.2010 से न्यायालय आदेश से उक्त नामान्तरकरण से खाते में आदेशानुसार अंकन किया गया है। ऐसी स्थिति में आराजीयात जैरबहस अपीलांट के नाम पर ऐसी स्थिति में अपीलांट का नाम राजस्व अभिलेख से हटाये जाने के तथ्य को हस्तगत अपील में देखा जाना उचित नहीं है, हस्तगत अपील में केवल नामान्तरकरण संख्या 2902 निर्णय दिनांक 22.03.2016 के तथ्यों को ही देखा जाना उचित है। इसके साथ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि नामान्तरकरण की कार्यवाही सरसरी

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official

(तारा चन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

कार्यवाही है, इसमें पक्षकारान के हक अधिकार तय नहीं किये जा सकते है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा अपीलाधीन नामान्तरकरण निर्णित करते समय विधि के उपाबंधों की पालना की जाकर विधिक निर्णय नियमानुसार पारित किया गया है, अपीलाधीन नामान्तरकरण विरासतन नामान्तरकरण की श्रेणी का होकर उक्त नामान्तरकरण में खातेदार के फौत होने का विषय महत्वपूर्ण है एवं खातेदार के फौत हो जाने से मृतक खातेदार के विधिक वारिसान के नाम पर नामान्तरकरण दायर किया गया है, इसके साथ ही अपीलांट द्वारा रेस्पोडेंट के विधिक वारिसान होने के संबंध में किसी भी प्रकार से उज्र-एतराज नहीं किया गया है, जिससे न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ उक्त विवादित नामान्तरकरण संख्या 2902 निर्णय दिनांक 22.03.2016 का निर्णित किये जाने के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही संपादित की गई है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य उभर कर आता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि अनुसार निर्णित किया गया है, ऐसी स्थिति में निर्णय के बिन्दु पर विचार किये जाने पर यह तथ्य न्यायालय के समक्ष प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 2902 निर्णय दिनांक 22.03.2016 के निर्णय में किसी भी प्रकार से काई त्रुटि किया जाना परिलक्षित नहीं होता है, ऐसी स्थिति में अपीलाधीन नामान्तरकरण के संबंध में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इसके साथ ही अपीलांट का नामान्तरकरण संख्या 2075 निर्णय दिनांक 11.12.2010 के संबंध में किसी भी प्रकार का उज्र एतराज है तो अपीलांट उक्त नामान्तरकरण के संबंध में सक्षम न्यायालय में विधिक कार्यवाही किये जाने हेतु स्वतंत्र है। एवं आराजीयात जैरबहस में अपीलांट का किसी भी प्रकार से विवादित आराजीयात में हक अधिकार निहित है, तो इस संबंध में अपीलांट सक्षम न्यायालय से वांछित अनुतोष प्राप्त करने के संबंध में भी स्वतंत्र है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन पाई जाती है जिससे अपील अपीलांट सारहीन होने से खारीज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार चित्तौड़गढ़ द्वारा मौजा सेन्ती पटवार हल्का सेन्ती तहसील चित्तौड़गढ़ के नामान्तरकरण संख्या 2902 निर्णय दिनांक 22.03.2016 की पुष्टि की जाकर निर्णय को यथावत रखा जाता है। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक 06.10.2021 को लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ताराचन्द मीणा)
जिला कलक्टर
चित्तौड़गढ़

न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते Web Copy - Not Official